

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर टोंक

प्रकरण संख्या

14/2020

गैन्दीराम मीणा पुत्र स्व. श्री गंगासहाय मीणा प.न. आई 3 भगतसिंह कॉलानी तहसील
निवाई जिला टोंक

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई जिला-टोंक

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 20-7-2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई जिला-टोंक को दिनांक 18-05-2020 को आवेदन प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी:-

प्रार्थी गैन्दीराम मीणा पुत्र स्व. श्री गंगा राम मीणा जाति मीणा को ग्राम भरथला के सिवायचक आराजी खसरा नं. 123 रकबा 93 बीघा 07 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा भूमि, भू-आवंटन सलाहकार समीति के द्वारा दिनांक 09.02.1983 (संवत् 2040) को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी। आवंटन के पश्चात प्रचलित नियमों के तहत प्रशासन ने उक्त आवंटित भूमि का विधिवत कब्जा आवंटि को निर्धारित समया अवधि में दिनांक 21.03.1983 को दे दिया था तथा उक्त आवंटित भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थी आवंटि के नाम से नामान्तरकरण संख्या 653 दिनांक 03.08.1983 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अम्ल-दरामद कर दिया गया था।

कृपया उक्त आवंटित भूमि के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं की सूचना अविलम्ब उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

(A) प्रार्थी आवंटि श्री गैन्दीराम पुत्र गंगाराम जाति मीणा द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर संवत् 2040 से संवत् 2043 तक की अवधि के दौरान किये गये कृषि कार्य को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने संबंधी दस्तावेज "खसरा गिरदावरी" की प्रमाणीत प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

(B) प्रार्थी आवंटि श्री गैन्दीराम पुत्र गंगाराम जाति मीणा को उक्त आवंटित भूमि का तत्कालीन समय पर कोनसा नया खसरा नम्बर दिया गया था।



✓
जिला कलेक्टर
टोंक

(C) प्रार्थी आवंटि श्री गैन्दीराम पुत्र गंगाराम जाति मीणा को उक्त आवंटित भूमि का वर्तमान खसरा नम्बर 123/4 है। उक्त खसरा नम्बर आवंटि को किस समय दिया गया था

(D) प्रार्थी आवंटि श्री गैन्दीराम पुत्र गंगाराम जाति मीणा को उक्त आवंटित भूमि की तरमीम तत्कालीन समय पर क्या आवंटि के पक्ष में कर दि गई थी अथवा नहीं ?

(E) प्रार्थी को आवंटित की गई भूमि (खसरा नम्बर 123/4 रकबा 10 बीघा वारानी भूमि) की वर्तमान में तरमीम संबंधी क्या स्थिति है।

उक्त बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई जिला-टोंक से अपीलार्थी को सूचना नहीं देने के सम्बन्ध में पत्र क्रमांक 8247 दिनांक 29-6-2020 से जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई द्वारा पत्र क्रमांक 6407 दिनांक 10-7-2020 से अवगत कराया कि आवेदक को कार्यालय हाजा के पत्र 5635/एल0आर दिनांक 24-6-2020 से सूचित कर दिया गया था कि आप द्वारा चाही जा रही सूचना कार्यालय में आकर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर लें किन्तु आवेदक उपस्थित नहीं हुए ओर सूचना प्राप्त नहीं की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे ज्ञात होता है कि अपीलान्ट को सूचना प्राप्ति के सम्बन्ध में 30 दिवस की अवधि के पश्चात सूचित किया गया है तथा यह भी पत्र में अंकित नहीं किया गया है कि सूचना की कितनी प्रतियाँ हैं ओर कितनी राशि जमा करवाकर वह सूचना प्राप्त करें। साथ ही पत्र रजिस्टर डाक द्वारा न भिजवाकर साधारण डाक से प्रेषित किया गया है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की अवधि से 30 दिवस के भीतर आवेदक को सूचना उपलब्ध करवानी चाहिये थी अथवा सूचित करना चाहिये था। अपीलान्ट नियमानुसार सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है उसे सूचना नहीं दी गई है। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जावे वाली सूचना निर्णय प्रति प्राप्ति के 20 दिवस में निशुल्क उपलब्ध करावें।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।



(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर
टोंक